तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4492/2018/जयपुर** **रामनारायण बनाम गंगादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर ,सदस्य

उपस्थितः–

श्री अजयपाल डिंढारिया, श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषकगण प्रार्थी।
श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 10/2 की ओर से।
शेष अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

निर्णय

दिनांक 3.8.2021

1– यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के तहत संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरकरण संख्या 33 वाके ग्राम बढारना तहसील आमेर द्वारा ग्राम पंचायत अखैपुरा दिनांक 17–10–99 को तस्दीक किया गया । जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अप्रार्थी संख्या 1 गंगादेवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 6–10–2009 से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 33 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, आमेर को रिमाण्ड किया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–5–2017 से खारिज कर विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा । संभागीय आयुक्त जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22–5–2017 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तत की गई है ।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों एवं लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एंव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को कानूनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4492/2018/जयपुर** **रामनारायण बनाम गंगादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप तामील नहीं करवायी है तथा पीडित पक्षकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सही व वास्तविक तथ्य छिपाकर अपील पेश की । अप्रार्थी संख्या 1 लादूराम की पुत्री नहीं है केवल मिथ्या आधार पर लादूराम की पुत्री बताकर अपील पेश की है । नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है पक्षकारान के अधिकार व उत्तराधिकार का मामला केवल नियमित वाद में ही तय किया जा सकता है । प्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार है तथा सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि के प्रार्थीगण के पिता श्योला उर्फ श्योनारायण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था । उक्त सभी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे फिर भी प्रार्थीगण की बिना तामील कराये ही नामान्तरकरण संख्या 33 निरस्त करने में भूल की है । अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा । विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थी एवं लादूराम व अन्य के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद चल रहे है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन उन्होंने आर.आर.टी. 2019 पृष्ठ 47,593, 648, 1125, आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 196, 253 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लादू की आराजी थी तथा पिता के स्वर्गवास के बाद आराजी अकेले उसके भाईयों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 33 तस्दीक कर दिया । जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लादूराम की जायन्दा पुत्री होने से उसके भाईयों के साथ साथ उसके भी नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था । किन्तु ग्राम पंचायत ने अकेले उसके भाईयों के नाम तस्दीक कर दिया जो विधि विरूद्ध होने निरस्त योग्य था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है उनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 पृष्ठ 1168, आर.आर.डी 2007	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4492/2018/जयपुर** **रामनारायण बनाम गंगादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पृष्ठ 587, आर.आर.टी. 2013 पृष्ठ 1124, आर.बी.जे. 1997 पृष्ठ 116, डी.एन.जे. 2020 (3) पृष्ठ 817, आर.आर.टी. 2008 पृष्ठ 936, आर.आर.टी. 2007 पृष्ठ 945 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार लादूराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 17–9–1977 उसके तीन पुत्र श्योला, नाथू, ओमप्रकाश के नाम तस्दीक किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या मु0 गंगादेवी भी स्वयं को मृतक लादूराम की पुत्री होने का कथन किया गया है । इस संबंध में एक अपील संख्या 254/09 उनवानी रविरकुमार बनाम मु. गंगादेवी संभागीय आयुक्त के न्यायालय में दायर हुआ था जो आपसी राजीनामा होने से खारिज हो चुकी है । इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विभिन्न हक त्याग पत्रों द्वारा गंगादेवी को लादूराम की पुत्री माना गया है । यह तथ्य एक जांच का विषय है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात ही निर्णित किया जा सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने प्रकरण को तहसीलदार को प्रकरण के दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई एवं जांच कर का नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है तथा इससे कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं । **इसी प्रकार आर.आर.टी. 2008 पृष्ठ 936 पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–**

Mutation cannot be kept in abeyance on the ground of pendency of suit .

संभागीय आयुक्त द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 22–5–2017 प्रार्थी की अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2009 यथावत रखा है ।

हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/4492/2018/जयपुर** **रामनारायण बनाम गंगादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं पाई जाती है जिससे कि निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके । विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्य भिन्न होने पर इस पर चस्पा नहीं होते हैं । दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत एवं समवर्ती निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है एवं निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 7– उक्त विवेचन के फलस्परूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	